

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)  
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 18/2022  
दायर दिनांक : 06.10.2022  
आदेश दिनांक : 17.03.2026

अनवान

1. प्रकाशचन्द्र पिता सोहनप्रकाश पगारिया, निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
  2. रफीक मोहम्मद पिता अलाबक्ष मुसलमान निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
- प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना अधिकारी, नेशनल हाईवे प्राधिकरण, सरस डेयरी के पास, गोवर्धन विलास, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 557 ए/दिनांक 07.03.2013 एवार्ड दिनांक 05.08.2022

उपस्थित :-

- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता – अधिवक्ता प्रार्थी  
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02  
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 03

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत एवार्ड क्रमांक 557 ए दिनांक 07.03.2013, के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा गौमती से उदयपुर फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए भू अवाप्ति की प्रकिया के तहत



*Shr.*

प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई हैं और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रयशुदा भूमि को सक्षम अधिकारी भूमि रूपान्तरण नगरपालिका राजसमन्द से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दिनांक 01.07.2010 को जरिये मिसल संख्या 276/2001 राजस्व ग्राम राजनगर की आराजी संख्या 605 व 606 रकबा 06 बिस्वा अर्थात् 1160 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख अपने पक्ष में जारी करा कार्यालय उप पंजियक राजसमन्द के यहाँ पर पंजीबद्ध करवाया गया है। जो दिनांक 29.01.2010 को प्रार्थीगण के नाम पर पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने रूपान्तरण कराने के पश्चात् रूपान्तरण आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से स्थानीय निकाय नगरपालिका राजसमन्द के नाम पर दर्ज की गई थी तत्पश्चात् रूपान्तरण का पट्टा जारी किया गया। रूपान्तरण आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण से उक्त भूमि नगरपालिका के नाम पर दर्ज हुई। विपक्षी द्वारा गौमती से उदयपुर जाने वाली नेशनल हाईवे संख्या 8 निर्माण हेतु अवाप्त की गयी है जिसमें राजस्व ग्राम राजनगर की आराजी संख्या 605 व 606 रकबा 9 बिस्वा में से 240 हेक्टेयर भूमि बिलानाम नगरपालिका के नाम पर दर्ज होने से अधिसूचना में इसका प्रकाशन किया गया तथा भूमि राजस्व रेकार्ड में रूपान्तरण आदेश की पालना में स्थानीय निकाय के नाम पर दर्ज होने से उक्त भूमि का मुआवजा राशि न तो तय की गयी है, न ही अदा की गयी है और राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर भूमि पूर्व में दर्ज रही लेकिन रूपान्तरण किये जाने से बिलानाम नगरपालिका दर्ज है। भूमि रूपान्तरण के बाद एवं अंतरण के बाद राजस्व रेकार्ड में किस्म आबादी स्थानीय निकाय के नाम पर दर्ज रहने के प्रावधान है और स्थानीय निकाय द्वारा ही नामान्तरण की कार्यवाही की जाती है और उसका रेकार्ड स्थानीय निकाय द्वारा संधारित किया जाता है तथा उक्त भूमि स्थानीय निकाय के रेकार्ड अनुसार नगरपालिका के नाम पर दर्ज है स्थानीय निकाय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में वाणिज्यिक रूपान्तरण का पट्टा उसकी खातेदारी भूमि होने से जारी किया गया है और प्रार्थीगण ही इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं लेकिन इसका मुआवजा प्रार्थीगण को अदा नहीं किया गया है। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थीगण की भूमि जो राजस्व ग्राम राजनगर की आराजी संख्या 605 व 606 रकबा 0.240 हेक्टेयर अर्थात् 240 वर्गमीटर भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तिशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा तत्कालीन डी एल सी अनुसार 7000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 121/- रुपये निर्धारित किया जाकर देय था लेकिन मुआवजा वर्तमान बाजार दर अनुसार अदा नहीं किया गया है, न ही इस पर ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि का भुगतान किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा कृषि दर से निर्धारित किया जाकर उक्त राशि का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण का क्लेम आवेदन एवं मौका रिपोर्ट व दस्तावेज वाणिज्यिक भूमि के मौजूद होते हुए भी कृषि भूमि की दर से मुआवजा भुगतान करने के आदेश कर दिये गये हैं जबकि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किये गये क्लेम आवेदन के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट परियोजना अधिकारी उदयपुर से आदेश



*Ash*

क्रमांक 856 दिनांक 23.08.2021 से करवाई गई। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2021 को अपने पत्र क्रमांक 349 दिनांक 25.08.2021 से तहसीलदार राजसमन्द एवं आयुक्त नगर परिषद से विस्तृत रिपोर्ट उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में मौका रेकॉर्ड एवं अवाप्तशुदा भाग के संदर्भ में प्राप्त की गई। इससे पूर्व भी दिनांक 05.08.2015 को तहसीलदार से एवं आयुक्त नगर परिषद से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर तहसीलदार राजसमन्द एवं नगर परिषद राजसमन्द द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर दिनांक 05.07.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन तत्पश्चात भी केवल कृषि भूमि की दर से ही मुआवजा निर्धारित कर अदा कर दिया गया है। सम्पूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार के जरिये प्राप्त होने पर भी प्रार्थीगण को उसकी भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से अदा नहीं किया गया है एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा अदा नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि जो कि 121 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 20,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 121 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भी प्रार्थीगण को मुआवजा अदा नहीं किया गया है। केवल सरंचना का भुगतान कर दिया गया है। भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (Solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ती के साथ जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वादवर्णित भूमि राजस्व ग्राम राजनगर, तहसील व जिला-राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 605 से 0.0070 वर्गमीटर अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बाबत उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं



*Handwritten signature*

की है जिसके आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादग्रस्त आराजी नम्बर आराजी नम्बर 605 से 0.0070 वर्गमीटर की भूमि किस श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण की ओर से अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के स्वामित्व बाबत किसी भी प्रकार का कोई विधिक दस्तावेज या पट्टा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किया जबकि धारा 03 (जी) (7) (ए) में स्पष्ट वर्णित है कि The Market value of the land on the date of publication of the notification u/s 3 (A) ऐसी दशा में जिस दिनांक को नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थीगण प्राप्त करने की अधिकारीता रखता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण ने पत्रावली संख्या-अधिसूचना क्रमांक का.आ. 480 (अ) दिनांक 25-02-2010 एवं 489 (अ) दिनांक 16.3.2012 में पारित मुआवजा राशि भुगतान आदेश दिनांक 05.08.2022 का चौक भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के नाम जारी कर दिया है। प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भी यह साबित नहीं किया है कि प्रार्थीगण किस आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधि० की धारा 03 (जी) (7) के तहत कोई रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अब अवैधानिक तरीके से विधि के विपरित होकर यह प्रार्थना पत्र आप अदालत के समक्ष जो प्रस्तुत किया है, वह संधारणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण कितने हेक्टर को अवाप्त किया गया है एवं प्रार्थीगण की भूमि को भी सम्मिलित किया गया हो एवं प्रार्थीगण द्वारा तय शुदा भूमि के संबंध में वाणिज्यिक रूपान्तरण नगर पालिका राजसमंद से कराया गया हो तो प्रार्थीगण अपनी पुष्ट साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करावे। प्रार्थीगण को नियमानुसार मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा विपक्षी संख्या-01 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये जो तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर के अनुसार ही दिये गये थे जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई। प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि पर निर्मित संरचना की मुआवजा राशि भुगतान के तहत 1,54,197/- रुपये प्रकाश चन्द्र पगारीया के पीएनबी बैंक अकाउंट 06952010008940 आई एफ एस सी कोड पी यु एन बी 0069510 पेन नम्बर ए जी ई पी पी 7478 एच एवं रफीक मोहम्मद पिता अल्लाबक्ष के आर एम जी बैंक के खाता संख्या 83078597713 आई एफ एस सी कोड आरएमजीवी 0000563 पेन नम्बर एच जे बी पी एम 9876 एच बैंक संख्या 645553 एवं 645554 दिनांक 08.08.2022 से प्रार्थीगण के नाम जारी कर दिया गया है। प्रार्थीगण की वादवर्णित भूमि राजस्व ग्राम राजनगर की खसरा संख्या 605 किस्म बारानी अवाप्त क्षेत्रफल 0.0070 पर निर्मित संरचना का मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। इसलिये प्रार्थीगण अब और किसी प्रकार की राशि विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः कानूनन प्रार्थीगण अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्धान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि की किस्म



*Handwritten signature*

बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर परिषद राजसमंद होने से अवाप्त भूमि पर निर्मित संरचना का नियमानुसार मुआवजा का भुगतान प्रार्थीगण के नाम से कर दिया गया है। प्रार्थीगण अब केवल कपोल कल्पना के आधार पर विपक्षीगण से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जो सम्भव नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं। अतः माननीय अदालत आप से विनम्र निवेदन है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण निरस्त किये जाने का आदेश न्याय हित में बक्षाय जावें। प्रार्थीगण कानूनन न तो कोई बढी हुई मुआवजा राशि पाने की अधिकारी है न ब्याज या अन्य कोई राशि। अतः प्रार्थीगणया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाय जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा अधिसूचना जारी कर क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई। प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख तथा रूपान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की थी लेकिन उक्त भूमि का मुआवजा कृषि दर से निर्धारित किया जाकर उक्त राशि का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का क्लेम आवेदन एवं मौका रिपोर्ट व दस्तावेज वाणिज्यिक भूमि के मौजूद होते हुए भी कृषि भूमि की दर से मुआवजा भुगतान करने के आदेश कर दिये गये हैं जबकि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किये गये क्लेम आवेदन के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट परियोजना अधिकारी उदयपुर से आदेश क्रमांक 856 दिनांक 23.08.2021 से करवाई गई। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2021 को अपने पत्र कमांक 349 दिनांक 25.08.2021 से तहसीलदार राजसमन्द एवं आयुक्त नगर परिषद से विस्तृत रिपोर्ट उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में मौका रेकर्ड एवं अवाप्तशुदा भाग के संदर्भ में प्राप्त की गई। इससे पूर्व भी दिनांक 05.08.2015 को तहसीलदार एवं आयुक्त नगर परिषद से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर तहसीलदार राजसमन्द एवं नगर परिषद राजसमन्द द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर दिनांक 05.07.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन तत्पश्चात भी केवल कृषि भूमि की दर से ही मुआवजा निर्धारित कर अदा कर दिया गया। सम्पूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार के जरिये प्राप्त होने पर भी प्रार्थीगण को उसकी भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से अदा नहीं किया गया है एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा अदा नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि जो कि 121 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 20,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया। जबकि प्रार्थीगण की 121 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भी प्रार्थीगण को मुआवजा अदा नहीं किया गया है। केवल संरचना का भुगतान कर दिया गया है। भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (Solatium)



*del*

राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को नियमानुसार मुआवजा राशि भारत सरकार द्वारा विपक्षी संख्या-01 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये जो तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर के अनुसार ही दिये गये थे जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई। प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि पर निर्मित संरचना की मुआवजा राशि भुगतान के तहत 1,54,197/- रुपये प्रकाश चन्द्र पगारीया के पीएनबी बैंक अकाउंट 06952010008940 आई एफ एस सी कोड पी यु एन बी 0069510 पेन नम्बर ए जी ई पी पी 7478 एच एवं रफीक मोहम्मद पिता अल्लाबक्ष के आर एम जी बैंक के खाता संख्या 83078597713 आई एफ एस सी कोड आर एम जी वी 0000563 पेन नम्बर एच जे बी पी एम 9876 एच बैंक संख्या 645553 एवं 645554 दिनांक 08.08.2022 से प्रार्थीगण के नाम जारी कर दिया गया है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित भूमि राजस्व ग्राम राजनगर की खसरा संख्या 605 किस्म बारानी अवाप्त क्षेत्रफल 0.0070 पर निर्मित संरचना का मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। इसलिये प्रार्थीगण अब और किसी प्रकार की राशि विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः कानूनन प्रार्थीगण अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्धान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाय जावे।

विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति संरचना अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हुआ कि यहाँ प्रार्थी के पक्ष में 05.08.2022 को अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा मुआवजा राशि भुगतान का आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी को अवाप्त भूमि की गई भूमि का मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया। इसके अलावा उसकी भूमि जो अवाप्त की गई थी। उसको नगर परिषद राजसमन्द की मानते हुए प्रार्थी को भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा नगर परिषद राजसमन्द द्वारा जारी वाणिज्यिक पट्टा अभिलेख भी प्रस्तुत कर दिया गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी संलग्न है। जब भी खातेदार द्वारा नगर परिषद से पट्टा प्राप्त करता है। तो पहले उसकी भूमि नगर परिषद के नाम पर दर्ज होती है तथा उसके पश्चात नगर




*Signature*

परिषद द्वारा उसको पट्टा जारी किया जाता हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत प्रार्थीगण की भूमि पहले नगर परिषद के नाम पर दर्ज हुई तथा उसके पश्चात वाणिज्यिक पट्टा नगर परिषद द्वारा जारी किया। यह पट्टा उसको दिनांक 01.07.2010 को जारी किया गया। परन्तु इस पट्टे का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं होता हैं। राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद के नाम ही रहती हैं। जबकि पट्टा प्रार्थी के पक्ष में हैं। तो स्वामित्व प्रार्थी का ही माना जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर हुआ कि प्रार्थी को उसकी वाणिज्यिक भूमि का मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।


### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि वह प्रार्थी के पक्ष में जारी नगर पालिका के पट्टे पर विचार करते हुए मुआवजे का वर्तमान प्रभावी नियमों के तहत निर्धारण करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द